न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 89/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गोविन्दसिंह पि. हटेसिंह जाति राजपूत नि. बरखेडी कदीम तहसील पिडावा
2. प्रहलादसिंह पि. हटेसिंह जाति राजपूत नि. बरखेडी कदीम तहसील पिडावा
3. बनेसिंह पि. हटेसिंह जाति राजपूत नि. बरखेडी कदीम तहसील पिडावा
4. लालसिंह पि. हटेसिंह जाति राजपूत नि. बरखेडी कदीम तहसील पिडावा
5. कौशल्याबाई पत्नि प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि.बरखेडी कदीम तहसील पिडावा
6. नन्दकुंवर पत्नि गोविन्दसिंह जाति राजपूत नि. बरखेडी कदीम तहसील पिडावा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कालूराम पि. पूरालाल जाति सुतार नि. नौलाई तहसील पिडावा
2. सुरेशचन्द पि. पूरालाल जाति सुतार नि. नौलाई तहसील पिडावा
3. श्यामलाल पि. करणलाल जाति सुतार नि. नौलाई तहसील पिडावा
4. शिवसिंह पि. भगवानसिंह जाति सोंध्या नि. खजूरी तहसील पिडावा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील अप्रार्थीगण – श्री सुभाष दांगी

आदेश **दिनांक :** 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम बरखेडी कदीम तहसील पिडावा जिला झालावाड़ राज0 की आराजी ख.नं. 256 रकबा 1.7073 हेक्टर भूमि वादग्रस्त आराजी है जो प्रार्थीगण के खातेदारी की है। उक्त आराजी के पूर्व दिशा के हिस्से पर अप्रार्थीगण ने अवैधानिक रूप से जोर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रखा है जिसे अप्रार्थीगण छोडने को तैयार नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान भी करवा लिया है जिसमें भी अप्रार्थीगण का अवैधानिक कब्जा पाया गया है परन्तु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.06.2022 को किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट में लिखित में अप्रार्थीगण का अवैध कब्जा होना नहीं दर्शाया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से अवैध कब्जा हटाने की कहने पर वे लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:57 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर जबरन अवैधानिक कब्जा कर रखा है एवं उस पर अवैध निर्माण तार बावण्ड्री करने पर आमदा है। अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है क्योंकि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी पर अवैध रूप से निर्माण तार बावण्ड्री कर ली जाती है तो प्रार्थीगण का अपरिमित क्षति होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम बरखेडी कदीम तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 256 रकबा 1.7073 हेक्टर भूमि में अवैध रूप से निर्माण एवं तार बावण्ड्री इत्यादि नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम बरखेडी कदीम की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 133 नकल , नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी नकल , सीमाज्ञान रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर से एडवोकेट श्री सुभाष दांगी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना उनके पतियों के खिलाफ डिफेक्टिव वाद प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। अप्रार्थीगण ने तत्कालीन खातेदार बालसिंह पि. भंवरसिंह , सज्जनबाई पत्नि भंवरसिंह से ख.नं. 256 मिन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पूर्व दिशा की खरीद कर दिनांक 13.06.2011 को रजिस्टर्ड बयनामा अप्रार्थीगण की पत्नियों के नाम पंजीबद्ध करवाकर कब्जा प्राप्त किया है जिस पर तार बावण्ड्री कर काबिज है। अप्रार्थीगण के बाद पश्चिम रोड से लगी भूमि पर खातेदार प्रेमकुंवर पत्नि रामसिंह की भूमि निर्माणाधीन मकान दूकान है उसके बाद प्रार्थीगण का हिस्सा है। प्रार्थीगण ने सहखातेदार प्रेमकुंवर व अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। पहले उक्त भूमि ख.नं. 256 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा थी जिसके बीचो बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में पक्का डामर रोड बना हुआ है जिसका मुआवजा प्रार्थीगण ने प्राप्त किया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रोड दर्ज नहीं होने से तथा रोड में जाने वा[illegible] भूमि [illegible]कार्ड में कम नहीं होने से प्रार्थीगण को भ्रम व संदेह है। अप्रार्थीगण एवं प्र[illegible] के बीच प्रेमकुंवर पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:57 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

रामसिंह की भूमि निर्माणाधीन मकान दूकान है जो प्रार्थीगण ने बेचा था जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अतः प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम बरखेडी कदीम की जमाबंदी खाता सं. 58 की नकल व फोटोग्राफ पेश किये।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड व फोटोग्राफ का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में राजस्व रिकार्ड अनुसार यह पाया कि ग्राम बरखेडी कदीम की आराजी ख.नं. 256 में से 1.7073 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम शामलाती खाते में एवं ख.नं. 370/256 रकबा 0.4173 हेक्टर भूमि अप्रार्थीगण के पति नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 256 की शेष भूमि के संबंध में पक्षकारान द्वारा कोई तथ्य अंकित नहीं किये है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.06.2022 में भी ख.न. 256 में खातेदारो के कब्जा के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं है एवं सीमाज्ञान से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को संतुष्ट बताया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि ग्राम बरखेडी की आराजी ख.नं. 256 की भूमि में यद्यपि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से/रकबा के खातेदार काश्तकार है परन्तु मौके पर खातेदारान की भूमि का सही चिन्हीकरण नहीं हो रहा है जिस कारण पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद बना हुआ है। दिनांक 08.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान में मौके की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई मात्र सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थी का संतुष्ट होना जाहिर किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में विवाद की स्थिति कायम है।

अतः उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम बरखेडी कदीम की आराजी ख.नं. 256 रकबा 1.7073 हेक्टर भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:5?
Reason: SelfAttested

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022